राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ गांधी नगर, जयपुर।

क्रमांक:एफ. 4(1)पोषा/ICDS/2012/ 41051 जयपुर, दिनांक: 11-5-12

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
बांसवाडा।

विषय:– पूरक पोषाहार वितरण व्यवस्था के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बांसवाडा जिले में समस्त श्रेणी के लाभान्वितों को विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से "इडिया मिक्स पोषाहार" उपलब्ध कराया जा रहा था। विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा माह मई, 2012 के पश्चात् बांसवाडा जिले में पोषाहार उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण बांसवाडा जिले में संचालित समस्त परियोजनाओं में सभी श्रेणी के लाभान्वितों को पूरक पोषाहार राज्य सरकार के स्तर पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

वर्तमान में आयुवर्ग 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को पंजीरी/ हलवा प्रीमिक्स पोषाहार एवं गर्भवती धात्री महिलाओं को उपमा प्रीमिक्स/हलवा प्रीमिक्स पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्वयं सहायता समूहों/अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों/ मातृ समितियों के माध्यम से गरम पूरक पोषाहार (दलिया/खिचडी) उपलब्ध कराया जा रहा है। इस श्रेणी के लाभान्वितों को गरम पूरक पोषाहार के साथ-साथ नाश्ते हेतु भी पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बांसवाडा जिले में किशोरी बालिकाओं को सबला योजना के अन्तर्गत हलवा प्रीमिक्स/उपमा प्रीमिक्स पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

बाल एवं मातृ पूरक पोषाहार-पंजीरी (सत्तू), हलवा प्रीमिक्स (देशी मिठाई) एवं उपमा प्रीमिक्स (नमकीन) का लाभान्वितों में वितरण निम्नानुसार कराया जाना है :-

क्र. सं.	लाभान्वित की श्रेणी	पोषाहार का नाम	प्रति लाभान्वित प्रति दिवस पोषाहार के उपयोग की मात्रा (ग्राम में)	पोषाहार के उपयोग के लिए प्रत्येक माह में दिनों की संख्यां	माह में प्रत्येक लाभान्वित को वितरित किये जाने वाले पाउचों की संख्यां	केन्द्र पर खिलाये जाने वाले नाश्ते के दिनों की संख्यां	रेसीपी वार प्रति सप्ताह उपयोग दिवस
1	0-3 वर्ष सामान्य	हलवा प्रीमिक्स	120	17	2	—	4
		पंजीरी (सत्तू)	125	8	1	—	2
2	0-3 वर्ष अति कुपोषित	हलवा प्रीमिक्स	240	17	4	—	4
		पंजीरी (सत्तू)	125	8	1	—	2
3	3-6 वर्ष सामान्य	हलवा प्रीमिक्स	51	13	—	13	3
		उपमा प्रीमिक्स	42	12	—	12	3
4	3-6 वर्ष अति. कुपोषित	हलवा प्रीमिक्स	78	13	1	13	3
		उपमा प्रीमिक्स	70	12	1	12	3
5	गर्भवती/धात्री महिलाऐं	हलवा प्रीमिक्स	140	12	2	—	3
		उपमा प्रीमिक्स	130	13	2	—	3

आगंनबाड़ी केन्द्रों पर 'राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (RGSEAG)-सबला' के अन्तर्गत पंजीकृत किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार-हलवा प्रीमिक्स (देशी मिठाई) एवं उपमा प्रीमिक्स (नमकीन) का वितरण निम्नानुसार कराया जाना है:-

क्र.सं.	लाभान्वित की श्रेणी	पोषाहार का नाम	प्रति लाभान्वित प्रति दिवस पोषाहार के उपयोग की मात्रा (ग्राम में)	पोषाहार के उपयोग के लिए प्रत्येक माह में दिनों की संख्या	माह में प्रत्येक लाभान्वित को वितरित किये जाने वाले पाउचों की संख्या	रेसीपी वार प्रति सप्ताह उपयोग दिवस
1	किशोरी बालिकाऐं	हलवा प्रीमिक्स	140	12	2	3
		उपमा प्रीमिक्स	130	13	2	3

आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गरम पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने हेतु स्वयं सहायता समूहों/ अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों के चयन के संबंध में विभाग द्वारा समय पर समय पर जारी निर्देशों की प्रतियां संलग्न कर भिजवाई जा रही है। इन निर्देशों की प्रतियां समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को उपलब्ध कराकर पालना सुनिश्चित करावें। विभागीय निर्देशानुसार अविलम्ब स्वयं सहायता समूहों/ अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों का चयन कर लाभान्वितों को गरम पूरक पोषाहार का वितरण प्रारम्भ कराया जावें।

आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्वयं सहायता समूहों/अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों/ मातृ समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले गरम पूरक पोषाहार (दलिया/खिचडी) की रेसीपी एवं स्वीकृत दरों का विवरण निम्नानुसार है:–

(A) Khichadi (Modified)

Ingredients	Quantity (g)	Energy per 100g (Kcal)	Protein per 100g (g)	Energy (Kcal)	Protein (g)	Rate Rs./kg	Amount Rs.
Rice	58	345	6.8	200.10	3.94	20	1.16
Green Gram Dal	17	348	24.5	59.16	4.17	76	1.29
Edible Oil	5	900	0	45.00	0.00	60	0.30
Spice							0.02
Fuel							0.11
Total	**80**			**304.26**	**8.11**		**2.88**
Labour charges/margin for SHGs@10%							0.29
Grand Total							**3.17**

(B) Dalia (Modified)

Ingredients	Quantity (g)	Energy per 100g (Kcal)	Protein per 100g (g)	Energy (Kcal)	Protein (g)	Rate Rs./kg	Amount Rs.
Dalia	33	346	11.8	114.18	3.89	19	0.63
Green Gram Dal	17	348	24.5	59.16	4.17	76	1.29
Jaggery/Sugar	25	383	0	95.75	0.00	32	0.80
Edible Oil	5	900	0	45.00	0.00	60	0.30
Fuel							0.11
Total	**80**			**314.09**	**8.06**		**3.13**
Labour charges/margin for SHGs@10%							0.31
Grand Total							**3.44**

लाभान्वितों को एक दिन खिचडी एवं अगले दिन दलिये का वितरण किया जायेगा।

उक्त संशोधित रेसीपी में औसत लागत राशि **(3.17 + 3.44) / 2 = 3.31** रू. आती है। इसमें स्वयं सहायता समूह/अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों के लिए लाभ की राशि रू. **(0.29 + 0.31) / 2= 0.30** प्रतिदिन प्रति लाभान्वित प्रोसेसिंग चार्जेज, मेहनताना एवं लाभ सम्मिलित है। मातृ समितियों द्वारा राशि रू. 0.30 का उपयोग लाभान्वितों को दिये जाने वाली रेसीपी में पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां एवं आलू आदि के लिए किया जा सकेगा।

समस्त संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आयुवर्ग 3–6 वर्ष के बच्चों को नियमानुसार नाश्ता एवं गरम पूरक पोषाहार (दलिया/खिचड़ी) वितरण करना सुनिश्चित करावें। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नाश्ता एवं गरम पूरक पोषाहार का वितरण नहीं किये जाने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

प्रथम बार परियोजनावार पंजीकृत लाभान्वितों की संख्या निदेशालय स्तर पर उपलब्ध सूचना के आधार पर पोषाहार की मांग का आंकलन किया गया है। भविष्य में परियोजना स्तर पर पोषाहार की वास्तविक आवश्यकता का आंकलन किया जाकर श्रेणी वार लाभान्वितों के लिए पोषाहार के बैग्स की संख्या को घटाने अथवा अतिरिक्त आवंटन हेतु **माह की 15 तारीख तक सूचित किया जाना चाहिए** ताकि आगामी माह में तदानुसार आवंटन किया जा सके।

उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं परियोजनाओं में प्राप्त पूरक पोषाहार सामग्री को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भेजने हेतु परिवहन की व्यवस्था करेंगे। किसी परियोजना विशेष में अनुमोदित परिवहनकर्ता द्वारा पोषाहार का परिवहन नहीं किया जा रहा है तो पोषाहार परिवहन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था उप निदेशक शीघ्र नियमानुसार करेंगे। परिवहन की समस्या के कारण पोषाहार अवधिपार नहीं होना चाहिए और न ही आंगनबाड़ी केन्द्र पोषाहार से वंचित रहें। माननीय उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्देश हैं कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार की आपूर्ति निरन्तर बनी रहे। परिवहन की व्यवस्था का दायित्व सम्बन्धित उप निदेशक (ICDS) का होगा।

बाल विकास परियोजना अधिकारी प्राप्त पोषाहार सामग्री को गोदाम में रखवायेंगे। यह सुनिश्चित करे कि बैग में लाईनर है। पोषाहार की प्राप्ति रसीद देने से पूर्व पोषाहार बैग्स एवं पाउच का रेण्डम सैम्पलिंग के आधार पर वजन कराकर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्राप्त पोषाहार तालिका में दिये गये विवरण के अनुसार है :–

क्र.सं.	पोषाहार का नाम	प्रति बैग भार (कि.ग्रा. में)	प्रत्येक बैग में पाउच की संख्या व पोषाहार की मात्रा
1	पंजीरी (सत्तू)	20.00	20 X 1000 ग्राम
2	हलवा प्रीमिक्स (देशी मिठाई)	40.80	40 X 1020 ग्राम
3	उपमा प्रीमिक्स (नमकीन)	10.08	12 X 840 ग्राम
4	हलवा प्रीमिक्स (देशी मिठाई)	13.26	13 X 1020 ग्राम
5	उपमा प्रीमिक्स (नमकीन)	33.80	40 X 845 ग्राम
6	हलवा प्रीमिक्स (देशी मिठाई)	33.60	40 X 840 ग्राम

निदेशालय द्वारा जारी आपूर्ति आदेशों के कम में आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा प्रस्तुत चालान से बैग एवं पाउच पर अंकित सूचनाओं यथा पोषाहार का नाम, आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम, बैच संख्या, उत्पादन माह एवं पोषाहार की मात्रा का मिलान किया जाना सुनिश्चित करें। प्राप्त पोषाहार सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर पोषाहार प्राप्ति के रूप में चालान पर प्राप्ति रसीद निर्धारित प्रारूप में दी जावे।

प्राप्ति रसीद बाल विकास परियोजना अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील से जारी की जावे। परियोजना अधिकारी के अतिरिक्त अन्य कर्मचारी द्वारा प्राप्ति रसीद दिये जाने पर हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम व पद अवश्य अंकित करें। प्राप्ति रसीद किसी भी परिस्थिति में परियोजना के चर्तुथ श्रेणी कर्मचारी/चौकीदार के द्वारा जारी नहीं की जावे। उक्त व्यवस्था का दायित्व बाल विकास परियोजना अधिकारी का होगा।

यदि प्राप्त पोषाहार सामग्री आपूर्ति आदेश की दिनांक से पूर्व की उत्पादित हो, क्वालिटी के सम्बन्ध में अथवा अन्य किसी प्रकार की शिकायत हो तो उसे स्वीकार नहीं किया जावे तथा तुरन्त निदेशालय को सूचित किया जावे। पोषाहार प्राप्त होते ही उसका वितरण/परिवहन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर तुरन्त किया जावे।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को स्पष्ट निर्देश जारी करें कि पहले प्राप्त पोषाहार का लाभान्वितों को वितरण पहले एवं बाद में प्राप्त पोषाहार का वितरण इसके पश्चात किया जावे। किसी भी स्थिति में पोषाहार अवधिपार नहीं हो। निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्र/परियोजना गोदाम में अवधिपार पोषाहार पाये जाने पर सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

किन्हीं कारणों के चलते परियोजना विशेष में आगामी माह के लिए पोषाहार की आवश्यकता न हो तो इसके कारणों को उल्लेखित करते हुए माह की 15 तारीख तक पोषाहार आवंटन नही करने हेतु अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार) के दूरभाष संख्या–0141–2700246 अथवा फैक्स न. 0141–2705638/2700281 पर सूचित किया जावे।

परियोजना स्तर पर पूरक पोषाहार–पंजीरी (सत्तू), हलवा प्रीमिक्स (देशी मिठाई) एवं उपमा प्रीमिक्स (नमकीन)के लिए एक ही स्टॉक रजिस्टर का संधारण किया जावे पोषाहार प्राप्ति के बाद उसका परिवहन/वितरण आंगनबाड़ी केन्द्रों को कराया जावे। यह ध्यान रखें कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार समय पर प्राप्त हो ताकि इसका वितरण लाभान्वितों में हो सके। आंगनबाड़ी केन्द्र किसी भी स्थिति में ड्राई नहीं रहे।

आंगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर भी बाल एवं मातृ पूरक पोषाहार–पंजीरी (सत्तू), हलवा प्रीमिक्स (देशी मिठाई) एवं उपमा प्रीमिक्स (नमकीन) की प्राप्ति एवं वितरण का एक ही स्टॉक रजिस्टर संधारित करावें। पोषाहार इण्डेड पर पोषाहार प्राप्ति स्वरूप कार्यकर्ता/सहायिका के हस्ताक्षर लिये जावें तथा मासिक सूचना से केन्द्रों पर पोषाहार प्राप्ति का मिलान किया जावे।

परियोजना गोदामों/आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार का भण्डारण सुरक्षित रूप से नहीं करने के कारण पोषाहार में ईलियां इत्यादि कीड़े होने की सम्भावना रहती है ऐसा पोषाहार लाभान्वितों के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं रहता है। अतः निर्देशित किया जाता है कि पोषाहार का भण्डारण सूखे–स्वच्छ एवं हवादार स्थान पर किया जावे।

उप निदेशक, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान निरीक्षण पुस्तिका में पोषाहार शेष की मात्रा, उत्पादन माह व पोषाहार की वास्तविकता की स्थिति का उल्लेख करेंगे एवं पोषाहार के अवधिपार या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल उच्चाधिकारी के ध्यान में लाया जावे।

संलग्नः–उक्तानुसार।

निदेशक एवं उप शासन सचिव
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर

एफ.4(1)( )पोषा/SHG/ICDS/2009 41058-107 जयपुर, दिनांकः 11-5-12

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु</u> :–

1. विशिष्ठ सचिव, मा. मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सहायक, आयुक्त महिला अधिकारिता एवं पदेन शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राज. जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद...............................
7. मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय।
8. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गढी, कुशलगढ़, घाटोल, तलवाडा, सज्जनगढ़, बागीदौरा, छोटी सरवन, आनन्दपुरी एवं बांसवाडा–शहर, जिला बांसवाडा।
10. बाल विकास परियोजना अधिकारी, गढी, कुशलगढ़, घाटोल, तलवाडा, सज्जनगढ़, बागीदौरा, छोटी सरवन, आनन्दपुरी एवं बांसवाडा–शहर, जिला बांसवाडा।
11. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर प्रशाखा को बेबसाईट पर अप–लोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर